

म.प्र. शासन, वन विभाग

म.प्र. राज्य बांस मिशन

खेल परिसर, 74 बंगला, भोपाल - 462003

दूरभाष नं. - 0755 2555524, 2674341

राष्ट्रीय बांस मिशन की क्रेडिट लिंक्ड बेक एण्डेड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में मध्यप्रदेश में निम्नलिखित बांस उद्योगों की स्थापना के लिये प्रोजेक्ट प्रस्ताव आमंत्रित है -

क्रमांक	उद्योग	अनुमानित अधिकतम प्रोजेक्ट कास्ट (रु. लाख में)	केन्द्र / राज्य शासन का अनुदान	
			प्रतिशत	अधिकतम अनुदान राशि (रु. लाख में)
1.	बांस के ट्रीटमेंट एवं सीजनिंग प्लान्ट की स्थापना	20.00	50%	10.00
2.	बांस के कार्बोनाईजेशन प्लान्ट की स्थापना	30.00	50%	15.00
3.	Establishment of Livelihood Business Incubator	100.00	50%	50.00
4.	वेल्यू एडिशन के लिये बांस की प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना	30.00	50%	15.00
5.	बांस की प्राथमिक प्रोसेसिंग यूनिट में अपशिष्ट प्रबंधन	25.00	50%	12.50
6.	हस्तशिल्प / कुटीर उद्योग की स्थापना	15.00	50%	7.50
7.	बांस की फर्नीचर बनाने की इकाई की स्थापना	25.00	50%	12.50
8.	इंसेंस स्टिक मेकिंग इकाई	25.00	50%	12.50
9.	एक्टिवेटेड कार्बन प्रोडक्ट की इकाई	200.00	30%	60.00
10.	बम्बू बोर्ड / मेट / कोरुगेटेड शीट्स / फ्लोर टाइल्स निर्माण	200.00	30%	60.00
11.	Technology Enhancement of Indigenous tools, equipment and machinery	Project based	50%	50%

बिन्दु क्रमांक 1 से 8 तक की योजनाओं में उद्यमी का अंश 10% व शेष 40% बैंक का ऋण है। प्रोजेक्ट की स्वीकृति उपलब्ध बजट पर निर्भर करती है। सिद्धान्त प्रथम आवे प्रथम पावे का रहेगा। प्रोजेक्ट बनाने के लिये उपरोक्त दूरभाष पर मार्गदर्शन लिया जा सकेगा।


25/08/20

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य बांस मिशन, भोपाल